

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 123 / गोपनीय / 2022
दो-2-1 / 2022

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी, 2022

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री दीपक गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, इंदौर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, इंदौर जिले के प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री दीपक गुप्ता को पूर्णतः अस्थाई रूप से सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, प्रभारी सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री दीपक गुप्ता, केवल विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

क्रमांक 124 / गोपनीय / 2022
दो-2-1 / 2022

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी, 2022

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री अश्वाक अहमद खान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, उज्जैन को, उनके कार्य के अतिरिक्त, उज्जैन जिले के प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री अश्वाक अहमद खान को पूर्णतः अस्थाई रूप से सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, प्रभारी सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री अश्वाक अहमद खान, केवल विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

क्रमांक 125 / गोपनीय / 2022
दो-2-1 / 2022

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी, 2022

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री राजाराम भारतीय, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालाघाट के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, बालाघाट को, उनके कार्य के अतिरिक्त, बालाघाट जिले के प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री राजाराम भारतीय को पूर्णतः अस्थाई रूप से सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, प्रभारी सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री राजाराम भारतीय, केवल विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालाघाट के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, बालाघाट की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 126 / गोपनीय / 2022
दो-2-1 / 2022

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी, 2022


प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. (1) श्री दीपक गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, इंदौर,

- (2) **श्री अश्वाक अहमद खान**, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, **उज्जैन** के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, **उज्जैन**,
- (3) **श्री राजाराम भारतीय**, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, **बालाघाट** के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, **बालाघाट**,
- को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई रूप से, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने तक की अवधि के लिये की गई है।
6. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **इंदौर/ उज्जैन/ बालाघाट** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, _____ को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 8 (I) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, **जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर/इंदौर एवं खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर** के माननीय न्यायाधिपति महोदयगणों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित किये जाने हेतु अग्रेषित।
- (II) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0)** को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (6) रजिस्ट्रार (Examination)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस0ए0)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 9 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

- 10 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 11 रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 12 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी — रजिस्ट्री पृष्ठंकन क्र. **Reg (IT) (SA) /2018/368**, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

